

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)रा०यो०-11/2025-504

/पटना, दिनांक- 04-02-2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, मा० प्र० से०
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 के अधीन गायघाट प्रखंड के "भटगौवा में मधुरपट्टी घाट पर उच्चस्तरीय पुल" निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 के अधीन गायघाट प्रखंड के "भटगौवा में मधुरपट्टी घाट पर उच्चस्तरीय पुल" निर्माण योजना जिसकी कुल लम्बाई 177.560 मी० के निर्माण की राशि ₹ 1962.090 लाख रुपये, अनुसंधान की राशि ₹ 01.980 लाख रुपये, कंटेजेंसी की राशि ₹ 10.320 लाख रुपये एवं भूमि अधिग्रहण की राशि ₹ 453.690 लाख रुपये कुल राशि ₹ 2428.090 लाख रुपये (चौबीस करोड़ अठाईस लाख नौ हजार रुपया) मात्र है- हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस योजना के निर्माण की राशि, कंटेजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुसंधान की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।

dh

6. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता-5 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-11/2023 के पृष्ठ संख्या-72/प० पर रक्षित है।
10. स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय एवं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०) रा०यो०-11/2025 के पृष्ठ संख्या- 09/टि० एवं 11/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०-11/2025 के पृष्ठ संख्या- 16/टि० पर दिनांक 04/02/25 को प्राप्त है।
12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

19. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

sh